

प्रस्ताव - PP/PP/Rail/29433/2017 भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)	वन विभाग, काठमांडू की संज्ञा के माध्यम से स्वीकार करने की जाये है
---	---	--

तिथि 17/12/17

स्थान

हस्ताक्षर

मुख्य वन संरक्षक
वन (संरक्षण) विभाग-1000
उ० प्र०, लखनऊ।